अपील सूचना अधिकार संख्या 30/2020 (GCMS 2020/00045) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम प्रभारी अधिकारी, जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने प्रभारी अधिकारी, जन अभाव अभियोग निराकरण सतर्कता समिति, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 30.12.2019 से ग्यारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– शास्ति अधिरोपित करने, हर्जाना दिलवाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. **प्रार्थी का पत्रांक दिनाकिंत 13.05.19 आपके कार्यालय में पहुचंने की तारीख व आर.आर नम्बर की व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
2. **पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
3. **पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.05.19 तक जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।**
4. **जन अभाव अभियोग समिति के आदेश दिनांक 07.12.13 की पालना में जाचं अधिकारी द्वारा की गयी जाचं रिपोर्ट की प्रति।**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. **जाचं अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
6. **जाचं अधिकारी नियुक्त किये गये आदेश की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
7. **प्रार्थी द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत की गयी लिखित बहस दिनाकिंत 13.05.19 पर की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
8. **प्रार्थी द्वारा उपरोक्त पत्र के साथ सलग्ंन दस्तावेज 1 से 56 पर जांच अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति कार्यवाही की।**
9. **दिनांक 07.01.2013 से दिनांक 30.12.19 तक प्रार्थी के निपटारे प्रकरण में अधिक लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति।**
10. **प्रकरण में जाचं मे दोषी पाये जाने वाले कर्मकारो के नाम व पद की सूचना।**
11. **दोषियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।**

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 4887 निांक 21.02.2020 की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलोतर निम्न प्रकार से प्रस्तुत है।

प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं बिन्दु एक से ग्यारह का सम्बन्ध सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से है। अतः मूल प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जा चुका है। (संलग्नक–ग)

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं. 1 से उसके द्वारा दिनांक 13.05.19 को दिये गये प्रार्थना पत्र के संदर्भ दिनांक 13.05.19 का

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र कार्यालय पंत्राक 2458 दिनांक 20.05.19 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को मूल ही आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया होने के कारण सूचना के अधिकार का प्रार्थना पत्र भी पत्रांक 4685 दिनांक 07.01.2020 (संलग्नक–क) से प्रार्थी को समय सीमा में उपलब्ध करवाने के लिए भिजवा दिया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर ने अवगत कराया है कि पत्रांक 2458 दिनांक 20.05.19 उन द्वारा पत्रांक 24 दिनांक 10.06.19 (संलग्नक–ख) के द्वारा सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को भिजवाया गया होने के कारण "सूचना का अधिकार" का प्रार्थना पत्र वापिस भिजवाया गया।

जिसे पुनः पत्रांक 4739–40 दिनांक 21.01.2020 (संलग्नक–ग) के द्वारा सूचनाएं इस कार्यालय से सम्बन्धित नही हो कर सचिव, नगर विकास न्यास की होने के कारण उन्हे प्रेषित कर दिया गया था। व सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर को दी गई है।

अब सूचनाएं सचिव नगर विकास न्यास द्वारा ही दी जानी है।

इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सर्तकता आयोग का सर्कुलर सं0 03/03/2017 की प्रति बाबत Seeking similar information through repeated Application-Center Information Comission's decision- (संलग्नक–घ)

अतः जबाव अपील सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील खारिज फरमाई जावे।

-sd-

प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2019 का जवाब प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार दिया जा चुका है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 4685—86 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया गया था। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 से 3, 7, 8, 10, 11 की सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर से प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 5, 9 से 11 का सम्बन्ध नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर से होने के कारण अपने पत्रांक 4739—40 दिनांक 21.01.2020 के द्वारा पुनः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किया गया है तथा उसकी सूचना प्रार्थी को भी दी है। इसलिए प्रार्थी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, श्रीगंगानगर एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के विरूद्ध अलग—अलग उसे सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए न कि प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध। इसलिए प्रार्थी की अपील यहां खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी यदि चाहे तो वह सम्बन्धित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर